

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **2-Ganganagar** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that :-

Sh. Jaydeep Bihani


14 Public Park Dayanand Marg, Sri Ganganagar

sponsored by Bharatiya Janata Party

has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Sri Ganganagar

Date : 03.12.2023


(SANJAY KUMAR)
Returning Officer
2-Ganganagar

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961

कानूनी नियम और आदेश

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

2-गंगानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि:-

श्री जयदीप बिहाणी


14 पब्लिक पार्क दयानन्द मार्ग, श्रीगंगानगर

जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान: श्रीगंगानगर

दिनांक: 03-12-2023


(संजय कुमार)
रिटर्निंग ऑफिसर
2-गंगानगर